

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारिता न्यायाधिकरण" की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-पी0-08/लेखा-बजट/सह0नि0प्रा0/2018-19 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत संख्या-4 में उल्लिखित "सहकारिता न्यायाधिकरण" की विभिन्न मदों में ₹1,49,66,000.00 (एक करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद-01-वेतन-03-मंहगाई भत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
- (2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- (3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0-5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0-13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 का व समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन निबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।
- (5) वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2)

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था निबंधक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त पत्र दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(7) वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(8) अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(9) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फौजिंग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-सहकारिता न्यायाधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि ₹हजार में)

मानक मद	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बजट के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	6500	6500
02	मजदूरी	60	60
03	मंहगाई भत्ता	5513	5513
04	यात्रा भत्ता	10	10
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	10	10
06	अन्य भत्ते	258	258
07	मानदेय	10	10
08	कार्यालय व्यय	100	100
09	विद्युत देय	25	25
10	जलकर/जल प्रभार	10	10
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20	20
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	50
13	टेलीफोन पर व्यय	50	50
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियोंका क्य	0	0
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	150	150
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200	1200
17	किराया उपशुल्क और कर स्वमित्व	400	400
18	प्रकाशन	10	10
19	विज्ञापन ब्रिकी एवं विख्यापन व्यय	0	0
22	आतिथि व्यय विषयक भत्ता	20	20

26	मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	50
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300	300
29	अनुरक्षण	10	10
42	अन्य व्यय	0	0
44	प्रशिक्षण	10	10
45	अवकाश यात्रा व्यय	100	100
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	50
47	कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50	50
	योग--	14966	14966

(रुएक करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या:- 666 (1)/XIV-1/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरोय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)  
संयुक्त सचिव।